1/21833/2023

Speed post /त्रिव डाक

Violation letter/उल्लंघन पत्र

भारत सरकार खानमंत्रालय भारतीय खान ब्यूरो क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय माखूप्रा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Government of India Ministry of Mines Indian Bureau of Mines Office of the Regional Controller of Mines. Makhupura Industrial Area, Ajmer-305002 Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

दिनांक: 13/12/2023

संख्या: MCDR-MiFL0GEN/1/2023-AJM-IBM RO AJM

प्रेषित: खान एजेंट,

झामरकोटडा राक फास्फेट खान, मेसर्स आर एस एम एम लिमिटेड,

पोस्टः झामरकोटडा खदान, तहसील-तहसील-गिर्वा

जिलाः उदयपुर (राजस्थान), पिनः 313015.

(e-mail:minephos.rsmml@rajasthan.gov.in

विषयः राजस्थान राज्य केउदयप्र जिले में स्थित आपकी झामरकोटडा राक फास्फेट खान मेंखनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय.

इस कार्यालयके डॉ. ए. जेड. खान, क्षेत्रीय खनन भूविज्ञानी द्वारा दिनांक 22.11.2023 को किये गये उपरोक्त खान के निरिक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधो का उल्लघन पाया गया-

Rule	Status and extent of violation				
11					
(1)	(i) Development				
	Proposal	Actual			
	Western Pit (A-Ext, AB Blocks) in between the grid line 2970E	Western pit not developed as per			
	to 7030E & 3750 N to 5980N from 530-520 to 390-400mRL	the proposal			
	Central Pit (CDE Blocks) in between the gird line 2970E to	Central pit not developed as per			
	7030E &3750N to 5980N from 530-520 to 390-400 mRL	the proposal			
	It shows that the development has not been carried out as per approved proposal and the				

It shows that the development has not been carried out as per approved proposal and there is shortfall in the total development also.

Waste/OB Generation (ii)

Propossal (m3)	Actual(m3)
10480769.23	4349030

The waste/OB generation from mine is also less than the proposal.

Plantation (iii)

Location	Proposal		Actual	
	No. of Plant	Area	No. of Plant	Area
		(ha)		(ha)
Eastern Pit OB Dump	5000	5.0	0	0
Afforestation on Dump	3000	3.0	1000	1.0

Plantation has not been carried out as per approved proposal

Parapet/Retaining Wall (iv)

		MCDR-MiFLoG Location	iEN/1/2023-AJM-IE Proposal	BM_RO_AJM Actual		
I/21833/2	023	Construction of Parapet/Retaining Wall at the toe of dumps	400m	0		
		Parapet/Retaining Wall at the toe of dumps has not been made				

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिजसरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
 - (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश जा सकती है।
 - 03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा) उप खान नियंत्रक (प्रभारी) भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 4. रक्षित पत्रवली।

उप खान नियंत्रक (प्रभारी) भारतीय खान ब्यूरो